रोज़ी देने वाला अल्लाह है

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के सन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक़ है तो वह तुम्हें ऐसे ही रोज़ी देगा जिस तरह वह पक्षियों को रोज़ी देता है जो सुबह के वक़्त खाली पेट निकलते हैं और शाम के वक़्त पेट भर कर वापस आते हैं। (तिर्मिज़ी ४/५७३-२३४४, इब्ने माजा २/१३६४-४१६४, मुसनद अहमद १/२०५, ३३२)

रोज़ी का मामला बहुत अहम है। इन्सान अपनी पूरी ज़िन्दगी को इसी बिन्दु पर खतम कर देता है कि वह कहां से और कैसे रोज़ी हासिल करे? इसके लिये जितने तरीके और साधन होते हैं सब अपनाता है। एक मोमिन बन्दे का अक़ीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है, उससे जितना मांगा जाए कम है और वह चाहे जितना दे उसके खज़ाने में राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं हो सकती और रोज़ी जिसके सिलसिले में इन्सान इतना परेशान रहता है अपनी तमाम सृष्टि को रोज़ी पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है इसी लिये आप देखते हैं हर इन्सान बल्कि हर सृष्टि अल्लाह की दी हुई नेमतों से लाभान्वित हो रही है और उसे अल्लाह की तरफ से रोज़ी मिल रही है और रोज़ी देने के बारे में कोई भेद भाव नहीं है। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अच्छा बुरा, जानवर हो या इंसान, हर एक को रोज़ी मिल रही है और वहां से मिल रही है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब इन्सान का ईमान कमज़ोर हो अल्लाह पर भरोसा न हो तो वह बहुत सारी चीज़ों से वंचित (महरूम) हो जाता है और दर-दर की ठोकरें खाता है और अगर यही भरोसा और विश्वास अल्लाह पर इस तरह हो जिस तरह उस का हक़ है तो वह ऐसे ही रोज़ी देगा जैसे खाली पेट बेहाल पक्षियों को देता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सब की रोज़ियां अल्लाह तआला पर है यानी वह जिम्मेदार है'' (सूरे हूद-६) ज़मीन पर चलने वाली हर सृष्टि इनसान हो या जिन्नात, चौपाए हों या पक्षी, छोटी हो या बड़ी, समुद्र में हो या खुश्की (थल) पर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक़ खूराक देता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है : ''आसमान में तुम्हारी रोज़ी है और वह भी जिस का तुम से वादा किया जाता है'' (सूरे ज़ारियात-आयत नंबर २२)

जिस रोज़ी रोज़गार के बारे में इतनी स्पष्ट तालीमात हैं और वह भी वादा की शक्ल में तो ऐसी सूरत में हमारे ईमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए और रोज़ी के जो हलाल संसाधन हैं जिस की तरफ इस्लाम ने हमारा मार्गदर्शन किया है उनको अपनाएं और इन संसाधनों को अपना कर खूब मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वह हम लोगों को हलाल रोज़ी कमाने की क्षमता दे, ईमान और विश्वास पर बाक़ी रखे और जब हमारा ख़ातमा हो तो इस आस्था के साथ हो कि अल्लाह ही दाता (देने वाला) है।

मासिक

इसलाहे समाज

जनवरी 2026 वर्ष 37 अंक 1

शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑	वार्षिक राशि	100 रुपये
❑	प्रति कापी	10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. रोज़ी देने वाला अल्लाह है 2
2. कुरआन हम से क्या कहता है 4
3. कुरआन सबके लिये 6
4. शअ्बान महीने के अहकाम 9
5. रोज़े के अहकाम और मसाइल 11
6. रमज़ान के रोज़े की अहमियत-फ़ज़ीलत 13
7. किसी नेकी को मामूली न समझें 16
8. कुरआन और हदीस की रोशनी में बच्चों के अधिकार 18
9. इस्लाम में ग़ैर-मुस्लिमों के अधिकार 20
10. मर्कज़ी जमीअत के अध्यक्ष का संबोधन 23
11. मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म 25
12. एलाने दाख़िला 26
13. अपील 27
14. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

कुरआन हम से क्या कहता है?

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

पवित्र कुरआन समस्त इन्सान और जिन्नात के लिये पूर्ण रूप से मार्गदर्शक है, रहमत है और सफलता का माध्यम है। यह रब की वाणी है और उसकी तरफ से बन्दों के लिये बड़ी कृपा है। यह इतना बड़ा उपकार है कि जिस पर जितना ज़्यादा कृतज्ञता की जाये कम है। पवित्र कुरआन के द्वारा पूरे संसार की भलाई एवं मार्गदर्शन और आख़िरत की कामयाबी समस्त इन्सानों का कर्तव्य और जीवन का उददेश्य है। क्योंकि अल्लाह की तरफ से उसके बन्दों के लिये आखिरत की कामयाबी समस्त इन्सानों का कर्तव्य और जीवन का उददेश्य है। क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से उसके बन्दों के लिये सबसे आख़िरी सन्देश है जिससे बन्दे का वालिहाना लगाव ज़रूरी और गर्व की बात है। उसका सीधा संबोधन समस्त इन्सानों से है जो कौमें गुजर चुकी हैं चाहे व्यक्त की शक्ल में हो या दल की शक्ल में या आज के मौजूदा मुसलमान हों कुरआन करीम का सम्बोधन हर इन्सान विशेष रूप से उसकी तिलावत करने वाले से है। इस किताब में किसी के लिये कभी भी कोई शक की बात नहीं कि अमुक ही को संबोधित किया गया है, अमुक क्षेत्र के लोगों को ही संबोधित किया गया है, अमुक भाषा बोलने वाले ही इससे फायदा उठायें गे और अमुक भूगोल रंग व नस्ल, कौम व जमाअत जात और धर्म व मजहब के लोगों से ही यह बात कही जा रही है और इसके सजावार और इस प्रकार का जिम्मेदार सिर्फ वही कौम है जिसका नाम इसमें लिया गया है या जिसके बारे में यह आयत और सूरे नाज़िल हुई है बल्कि कुरआन के शब्द सबके लिये साधारण हैं।

इसलिये पवित्र कुरआन पढ़ने वाले हर क़ारी के लिये यह समझना ज़रूरी है कि वह तमाम सतकर्म, भलाई जिसकी तरफ पवित्र कुरआन ने मार्गदर्शन किया है और इसमें जितने अच्छे आदर्श व मिसालें राष्ट्र जगत, पैगम्बरों और नेक लोगों की बयान की गयी हैं इन सबका मुकल्लफ हैसियत के हिसाब से कुरआन का हर क़ारी है। इसी तरह से तमाम बुराइयों और बुरे लोगों के करतूत से बचने का मुकल्लफ (पाबन्द व जिम्मेदार) हर इन्सान और आदमी है। कुरआन इसलिये नहीं अवतरित हुआ कि सिर्फ इब्लीस का क़िस्सा सुना दिया जाये, उसका पाप और अपराध गिना दिया जाये और तिलावत व कुरआन पर ईमान का हक़ अदा कर दिया जाये हक़ीक़त में घमण्ड और क़यास ने शैतान को अपमानित किया इस लिये हर

मुसलमान पर फर्ज़ है कि वह घटना को जान कर इस तरह के शोशे से बचे कि कहीं उसके वहम व गुमान और कथन व आचरण में कभी भी मामूली सा घमण्ड और निजी राय न आने पाये विशेष रूप से कुरआन व हदीस और अल्लाह व रसूल के सामने वह दहल जाये कि शैतान एक सजदा न करने की वजह से अल्लाह के दरबार से धुतकार दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िन्दगी में मुझ से एक भी सजदा कभी मिस कर जाये तो तबाह व बर्बाद हो जाऊं उसने तो गलती की मगर कफ्फारा नहीं किया फिर भी वह धुतकारा गया और हम हैं कि हम गुनाहों पर गुनाह करके बल्कि सबसे बड़ा अपराध करके और यह कह कर सन्तुष्ट हो गये कि कुरआन और लोगों के लिये नाज़िल हुआ और यह सूरत और अमुक घटना फिरऔन की है हम इसकी श्रेणी में नहीं आते इससे बड़ी गलती और कुरआन की शिक्षाओं की उपेक्षा क्या हो सकती है? क्या तुम ने नहीं सुना?

गया इबलीस मारा एक सजदा के न करने से

अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा

कुरआन की तिलावत करने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं मगर पवित्र कुरआन के साथ अपनी ज़िन्दगी कैसे गुजारें इसके बारे में जानने वाले और इस पर अमल करने वाले बहुत कम ही नज़र आयेंगे। थोड़े ही लोग हैं जो कुरआन में डूब कर तिलावत करते हैं अपनी रूह को इसके अन्दर रचाते बसाते हैं, कुरआन के नूर से दिल की दुनिया को उजाला करते हैं दिल व जिगर को गरमाते और रूह को तड़पाते हैं और सुकून व संतुष्टि की वास्तविक लज्जत महसूस करते हैं। कम ही लोग मिलेंगे जो दिल और जान से मानेंगे और कहेंगे कि पवित्र कुरआन केवल तिलावत के लिये नाज़िल नहीं हुआ है बल्कि इसकी तिलावत ऐसी होनी चाहिए जो जीवन के धारे को मोड़ दे और इन्सान चाहे जितने ही ख्यालात व चिंताआओं से घिरा हुआ हो उन सबसे कट कर खालिस इसी तरफ अपना मन, विचार व ध्यान मोड़ कर उसी का हो कर इसी का हो कर रह जाये। सारांश यह है कि जितनी भी प्रकार की चेतावनियाँ हैं हम ही से पवित्र कुरआन संबोधित कर रहा है इस लिये जब भी कुरआन पढ़ें तो उसके हर आदेश को अपने लिये समझें, निषिद्ध बातों का उल्लेख होता है तो समझें कि यह मेरे लिये हराम है, मुझ से ही कहा जा रहा है, कौमें हलाक हो गईं यह उनका अंजाम था मुझे इस बुरे परिणाम से बचने के लिये पढ़ाया और सुनाया जा रहा है। फिरऔन ने धरती में अहंकार किया अकड़ दिखाई तो हलाक हो गया, यह घटना हमें सुना कर इससे बचने और बचाने का सामान किया जा रहा है। पवित्र कुरआन की इन सब बातों में हमारे लिये बहुत बड़ा उपदेश है।

कुरआन सबके लिये

प्रो० डा० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

कुरआन अन्तिम ईश-ग्रन्थ है, जो अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर तेईस वर्षों के अन्तराल में उतरा। सबसे पहले तो यह नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हृदय पर नक्श (अंकित) हो जाता था, फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बताने पर आपके साथी (सहाबा) याद कर लेते थे, और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ही की आज्ञा से इसको विभिन्न वस्तुओं पर लिख लिया जाता था। फिर जब अबू बक्र रजियल्लाहो अन्हों खलीफा बनाए गए तो उन्होंने विभिन्न चीज़ों पर लिखे हुए कुरआन के अंशों को इकटठा करवाया और एक ग्रन्थ के रूप में जमा कर दिया। फिर जब उस्मान खलीफा बने तो उन्होंने इसी ग्रन्थ की बहुत-सी प्रतियां बनवाईं और उन्हें पूरी इस्लामी दुनिया में भिजवा दिया। और आज तक उसी प्रति के अनुसार कुरआन प्रकाशित होता है। इस प्रकार अल्लाह तआला ने क़ियामत तक के लिए इसे परिवर्तित होने से बचा लिया और इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेते हुए फ़रमाया-

''निस्सन्देह कुरआन हमने ही उतारा है और निस्सन्देह हम ही उसके रक्षक हैं।'' (कुरआन, सूरा-१५ अल-हिज्र, आयत-९)

कुरआन अब संसार में एकमात्र ईश्वरीय ग्रन्थ है, जो अब तक सुरक्षित है और क़ियामत तक सुरक्षित रहेगा। इससे पूर्व जो ग्रन्थ उतरे थे, उनमें बहुत कुछ फेर-बदल हो चुके हैं।

कुरआन जब पहले-पहल लिखा गया तो उसमें मात्राएं (आराब) नहीं थीं। क्योंकि अरबी भाषियों को इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इस्लाम अरब से निकलकर अजम तक फैल गया और अजमियों को मात्राओं के बिना कुरआन पढ़ने में कठिनाई होने लगी तो उस समय के खलीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान (जो सन ६५ हिजरी में खलीफा बने) ने एक भाषा विद अबुल-असवद दुवली (जिनका देहान्त सन ६९ हिजरी में हुआ) को आदेश दिया कि वे कुरआन में मात्राएं लगा दें ताकि पढ़ने में गलतियां न हों। इस प्रकार अल्लाह ने कुरआन को ग़लत पढ़ने से भी बचा लिया। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आ गईं तो कुरआन संसार के कोने-कोने से प्रकाशित होने लगा। इस समय कुरआन का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस मदीना (सऊदी अरब) में है। उसका नाम शाह फहद कुरआन प्रेस संस्थान है, जिसकी स्थापना ३० अक्तूबर, १९८४ में हुई, जहां से सन २००० ई० तक कुरआन की डेढ़ करोड़ से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी थीं। इसी प्रकार उस संस्थान से सन १९९९ ई० तक निम्नलिखित २९ भाषाओं में कुरआन का अनुवाद प्रकाशित हो चुका था।

उर्दू, स्पेनिश, अलबीनी, इंडोनेशियाई, अंग्रेज़ी, अन्को, उरामी, इगेरिया, बराहोइया, पश्तो, बंगाली, बर्गी, बुस्ती, तमिल, थाइलैंड, तुर्की, जूलो, सोमाली, चीनी, फारसी, फ्रांसीसी, काज़ाकी, कश्मीरी, कोरी, मक्दूनी, मलेबारी, होसा, पूरबा और यूनानी। किसी धार्मिक ग्रन्थ के विषय में कोई राय बनाने तथा उसे स्वीकार

करने से पहले यह देखना चाहिए कि वह स्वयं अपने विषय में क्या कहता है। कुरआन अपने विषय में कहता है। १. यह अल्लाह की ओर से उतारा गया है।

''ऐ नबी कहो यह कुरआन मेरी ओर वह्य किया गया है, ताकि मैं इसके द्वारा तुम्हें और जिस तक यह पहुंचे सबको सचेत करूं।'' (सूरा-६, अल-अनआम, आयत-१९) ''ऐ नबी हम ही ने अत्यंत व्यवस्थित ढंग से तुम पर कुरआन उतारा।'' सूरा-७६, अद दहर, आयत-२३

''क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब उतारी, जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। निश्चय ही इसमें ईमानवालों के लिए दयालुता तथा अनुस्मृति है।'' (सूरा-२९, अल-अनकबूत, आयत-५१)''यह किताब हमने तुम्हारी ओर सत्य के साथ उतारी है, अतः तुम अल्लाह ही की इबादत (उपासना) करो, धर्म को उसके लिए विशुद्ध करते हुए।'' (अर्थात उपासना में उसके साथ किसी को साझी न बनाओ) (सूरा-३९, अज़-जुमर, आयत-२)''इस कुरआन की तुम्हारी ओर प्रकाशना करके, इसके द्वारा हम तुम्हें एक बहुत ही अच्छा बयान सुनाते हैं, यद्यपि इससे पहले तुम बेखबर थे''। (सूरा-१२, यूसुफ आयत-३)

''हमने तुम्हें बार-बार दोहराने वाली सात आयतें तथा यह कुरआन दिया।'' (सूरा-१५, अल-हिज्र, आयत-८७)''तुमको कुरआन, जो तत्वदर्शी तथा ज्ञानवाला है, अल्लाह की ओर से दिया जा रहा है।'' (सूरा-२७, अन-नम्ल, आयत-६)

इससे पता चलता है कि कुरआन अल्लाह की किताब है। इस समय संसार में कुरआन के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ नहीं है जो स्पष्ट रूप से अल्लाह की किताब होने का दावा कर सके, बल्कि अल्लाह ने तो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को भी चेतावनी दी है कि अगर तुमने अपनी ओर से कोई बात कुरआन से संबद्ध करके कहने की कोशिश की होती तो हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेते, और तुम्हारी गर्दन की रग काट देते। (सूरा-६९, अल-हाक्क़ा, आयत-४५)

इससे मालूम हुआ कि पूरा कुरआन अल्लाह की ही ओर से है। इसलिए एक स्थान पर तो कुरआन ने यह दावा भी किया कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं वह वह्य के द्वारा ही कहते हैं। (कुरआन, सूरा-५३, अन-नज्म, आयत-३)

कुरआन एक चमत्कार

२. कुरआन एक ऐसा चमत्कारपूर्ण ग्रंथ है कि समस्त मनुष्य मिलकर भी वैसा ग्रन्थ नहीं ला सकते। ''कह दो यदि मनुष्य और जिन्न इसके लिए इकटठा हो जाएं कि इस कुरआन जैसी कोई चीज़ लाएं तो वे इस जैसी कोई चीज़ न ला सकेंगे। चाहे वे परस्पर एक दूसरे के सहायक ही क्यों न बन जाएं।'' (सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-८८)

कुरआन ने यह चैलेंज उन लोगों को किया था जो अपने आपको अरबी भाषा का महान विद्वान समझते थे। उनके मुकाबले में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। फिर भी वे कहते थे कि यह सब मुहम्मद अपनी ओर से लाते हैं। इस पर कुरआन में यह चैलेंज किया गया कि तुम और जिन्न मिलकर भी क्या ऐसा कुरआन ला सकते हो? उत्तर यही रहा कि नहीं ला सकते।

फिर कुरआन ने केवल दस सूरतें लाने के लिए चैलेंज किया।

''क्या वे कहते हैं उसने इसे स्वयं गढ़ लिया है। कह दो, अच्छा तुम इस जैसी गढ़ी हुई दस सूरतें ले

आओ, और अल्लाह के अतिरिक्त जिस किसी को चाहो बुला लो, यदि तुम सच्चे हो।'' (सूरा-११, हूद, आयत-१३)

जब वे दस सूरतें लाने में भी असफल रहे तो फिर कुरआन ने केवल एक सूरा लाने का चैलेंज किया।''यदि तुम उस चीज़ के विषय में, जो हमने अपने बन्दे पर उतारी है, संदेह में हो तो उस जेसी एक सूरा लाकर दिखा दो, और अल्लाह के अतिरिक्त तुम जिसे चाहो अपनी सहायता के लिए बुला लो, यदि तुम सच्चे हो।'' (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत२३)

लेकिन वे इस चैलेंज का भी जवाब न दे सके। इससे कुरआन का महा चमत्कार होना और अल्लाह की ओर से वह्य होना भी, सिद्ध हो गया।

कुरआन की विशेषता

३. कुरआन में शिफा (आरोग्य) और रहमत (दयालुता) है।

''हम जो कुरआन में उतारते हैं इसमें ईमान लाने वालों के लिए शिफ़ा (आरोग्य) और दयालुता है, ओर अत्याचारियों के लिए उसमें घाटा ही घाटा है।'' (सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-८२)

अर्थात कुरआन हर प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए आवश्यक है कि उस पर ईमान लाया जाए, हृदय में उसे बसाया जाए, उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग उस पर ईमान नहीं लाते, बल्कि उसके ईश्वरीय होने को झुठलाते हैं ऐसे लोगों के लिए घाटा ही घाटा है, न तो वे संसार में उससे कोई लाभ उठा सकेंगे, न प्रलय के दिन। इस प्रकार इसके द्वारा वे न तो अपने हृदय का रोग दूर कर सकेंगे और न शरीर का। कुरआन में आया है।

''और जब कोई सूरा उतारी जाती है तो कुछ लोग यह पूछते हैं कि इस सूरा ने तुममें से किसके ईमान को बढ़ाया? तो जो लोग ईमान लाए इस सूरा ने उनके ईमान को बढ़ाया है और वे प्रसन्न हो उठे, और जिनके हृदयों में रोग है इस सूरा ने उनके रोग को और बढ़ा दिया और वह कुफ्र की अवस्था में ही मर गए।'' (सूरा-९, अत-तौबा, आयतें-१२४-१२५)

कुरआन की भाषा

४. कुरआन को अल्लाह ने अरबी भाषा में उतारा, क्योंकि यह जिस पर उतारा गया था वे अरबी भाषी थे। उनके प्रथम संबोधित भी अरबी भाषी लोग ही थे। इसलिए किसी और भाषा में यह उतारता तो उन लोगों को इसे समझने और स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती।

''और इसी प्रकार ऐ नबी! हमने तुम्हारी ओर अरबी में कुरआन वह्य किया।'' (सूरा-४२, अश-शूरा, आयत-७)''यदि हम इसे ग़ैर-अरबी कुरआन बनाते तो वे लोग कहते, ''इसकी आयतें क्यों नहीं (हमारी भाषा में) खोल-खोल कर बयान की गईं? यह क्या कि वाणी तो ग़ैर अरबी है और व्यक्ति अरबी?'' (सूरा-४१, हा-मीम अस-सजदा, आयत-४४)

''यह वह पुस्तक है जिसकी आयतें खोल-खोल कर बयान हुई हैं, अरबी कुरआन के रूप में उन लोगों के लिए जो जानना चाहें''। (सूरा-४१, हा-मीम अस-सजदा, आयत-३) यहां यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आये उनको उन्हीं की भाषा में किताब दी गयी। इसलिए नबी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को अरबी में कुरआन देना इसी नियम की कड़ी है।

(कुरआन मजीद की इन्साइक्लो पीडिया'' से पृष्ठ १६५-२०१)

शअ्बान महीने के अहकाम

मौलाना अब्दुल मन्नान शिकरावी

शअ्बान महीने की फज़ीलत यह है कि इस महीने में बन्दों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किये जाते हैं जैसा कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जितने रोज़े आप शअ्बान के महीने में रखते हैं मैंने इतने रोज़े किसी दूसरे महीने में रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रजब और रमज़ान के दर्मियान यह ऐसा महीना है जिससे लोग गफ़लत करते हैं यह ऐसा महीना है जिस में आमाल अल्लाह के पास पेश किये जाते हैं, मैं चाहता हूं, कि मेरा अमल इस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोज़े से रहूं। (नेसई)

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे जैसा कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा फरमाती हैंः नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम शअ्बान के महीने से ज़्यादा किसी अन्य महीने में रोज़ा नहीं रखते थे, आप पूरा शअ्बान रोज़ा रखते थे। (बुखारी)

शअ्बान की दर्मियानी रात में गुनाहों को मआफ करने से संबन्धित हज़रत अबू मूसा अश्अरी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बेशक अल्लाह तआला आधे शअ्बान की रात (अपने बन्दों पर) नज़र फरमाता है फिर मुश्रिक और (मुसलमान भाई से) दुश्मनी रखने वाले के सिवा पूरी सृष्टि की बख्शिश फरमा देता है (इब्ने माजा) अल्लामा अल्बानी ने इस रिवायत को हसन कहा है।

शअ्बान में असलाफ के अमल के बारे में सलमा बिन कुहैल रह० फरमाते हैं कि शअ्बान के महीने को कारियों का महीना कहा जाता था'' जब शअ्बान का महीना शुरू होता तो हबीब बिन साबित रह० फरमाते ''यह कारियों का महीना है'' जब शअ्बान का महीना शुरू हो जाता तो उमर बिन क़ैस मलाई रह० अपनी दुकान बन्द कर देते और कुरआन करीम की तिलावत के लिये फारिग हो जाते। (लताइफुल मआरिफ)

अबू बक्र बलखी रह० फरमाया करते थेः रजब खेती का महीना है और शअ्बान खेती को सींचने और रमज़ान खेती काटने का'' यह फरमाते थे। ''रजब की मिसाल हवा की, शअ्बान की मिसाल बारिश जैसी है। जिसने रजब के महीने में जोता बोया नहीं और शअ्बान में खेती को सैराब नहीं किया तो वह रमज़ान में खेती काटने का ख़ुवाब कैसे देख सकता है।'' यह हमारे असलाफ (पूर्वज) थे जो दीन की बारीकियों को समझते थे और इनके अनुसार अमल करते थे।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम छः महीना पहले दुआ करते कि अल्लाह उन्हें रमज़ान का महीना नसीब करे और रमज़ान में इबादत के बाद छः महीने तक इस इबादत के कुबूल हो जाने के लिये दुआ करते थे। यहया बिन कसीर रह० बयान करते थे कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम यह दुआ करते थे ऐ अल्लाह मुझे रमज़ान के हवाले कर दे, मेरे लिये इसे सलामती वाला बना दे और

इसमें (किये गये आमाल) को मुझ से कुबूल फरमा ले।'' वह यह दुआ इस लिये करते थे क्योंकि रमज़ान तक जीवित रहने की क्या गारन्टी है और इस बात की क्या ज़मानत है कि जब रमज़ान आए गा तो सेहत व तन्दुरूस्ती बाकी रहेगी।

बाज़ लोग सख्त गर्मी के मौसम में रोज़ा छोड़ देते हैं और तरह-तरह के हीले बहाने ढूंढ़ने लगते हैं जबकि सख्त गर्मी में रोज़ा रखने का सवाब ज़्यादा मिलता है जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की मौत का वक़्त करीब आया तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि सख्त गर्मी वाले रोज़े नसीब नहीं होंगे। हज़रत अबू बक्र सिददीक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि वह गर्मी में रोज़े रखते और सर्दी के मौसम में बगैर रोज़े के रहते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने अपने बेटे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को मौत के वक़्त वसियत फरमाई की कि वह सख्त गर्मी में ज़रूर रोज़ा रखें। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा भी सख्त गर्मी के दिनों में रोज़े रखती थीं।

१५शअ्बान को खास करके रोज़े रखने की कोई दलील नहीं (मजमूउल फतावा १०/३/३८५)

१५वीं शअ्बान की रात को महफिल आयोजित करने के बारे में शैख इब्ने बाज़ रह० फरमाते हैं कि १५ शअबान को महफिल जमाना, इस दिन रोज़ा रखना कुछ लोगों की तरफ से विदअत (दीन में नई बातों) में से है। इसकी कोई ऐसी दलील नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। इसकी फज़ीलत के बारे में बाज जईफ हदीसें हैं जिन पर विश्वास कर जायज़ नहीं। (मजमूउल फतावा १/१८६)

शैख इब्ने बाज़ रह० ने यह भी फरमाया कि १५वीं शअबान की रात को नमाज़ वगैरह का एहतमाम करना और इसके दिन को रोज़ा के लिये खास करना अधिकांश ओलमा के नज़दीक बदतरीन बिदअत है इसकी शरीअत में कोई बुनियाद नहीं है बल्की सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम के ज़माने के बाद इसका वजूद अमल में आया। (मजमूउल फतावा १/१९१)

अल्लामा इब्ने उसैमीन रह० फरमाते हैंः सहीह बात यही है कि १५वें शअ्बान का रोज़ा या खास तौर पर इस दिन तिलावत या जिक्र व अज़कार करना, शरीअत में इस की कोई असल व बुनियाद नहीं है १५वें शअ्बान का दिन दूसरे महीनों के दिनों के ही समान है। (मजमूउल फतावा २०-२३)

अल्लामा उसैमीन रह० फरमाते हैंः १५वें शअ्बान को खुसूसियत के साथ रोज़ा रखना सुन्नत नहीं है और जब सुन्नत नहीं है तो हर हाल में बिदअत है क्योंकि रोज़ा एक इबादत है और जब शरीअत से इबादत की बात साबित न हो तो हर हाल में बिदअत (दीन में नई बात) होगी। (मजमूउल फतावा २०-२६)

१५वें शअ्बान में साल भर की रोज़ी और आमाल की तक़दीर लिखे जाने के बारे में अल्लामा इब्ने उसैमीन रह० फरमाते हैं कि यह झूठ है बल्कि यह सब लैलतुल कद्र में होता है। (मजमूउल फतावा २०-३०)

अल्लामा उसैमीन रह० फरमाते हैं कि बाज लोग १५वें शअ्बान के दिन खाना बना कर फकीरों, मोहताजों में बांटते हैं और इसे मां बाप के शाम के खाने का नाम देते हैं। इस का नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कोई सुबूत नहीं है इस लिये इस दिन को इन आमाल के लिये खास करना बिदआत में से है।

(मजमूउल फतावा २०-३१)

रोज़े के अहकाम और मसाइल

शैखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी रह०

ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया जिस शख्स ने रमज़ान के महीने का रोज़ा ईमान के साथ और सवाब की नियत से रखा तो उसके पिछले पाप मआफ कर दिये जाते हैं (बुखारी १९०१)

सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया इन्सान जो भी कर्म करता है उस कर्म का बदला उसे दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक मिलता है लेकिन रोज़ा के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है कि रोजा खालिस मेरे लिये होता है इसलिये मैं ही इस का बदला दूंगा रोज़ा रखने वाला केवल मेरे लिये अपनी जिन्सी खुवाहिशात और मेरे लिये खाने पीने को छोड़ता है। रोज़ा रखने वाले के लिये खुशी के दो अवसर हैं एक खुशी उसे इफतार के वक्त हासिल होती है और दूसरी खुशी उसे उस वक्त प्राप्त होगी जब वह अपने पालनहार से मुलाकात करेगा और रोज़ा रखने वाले के मुंह की बू अल्लाह के यहां कस्तूरी खुश्बू से ज्यादा पाकीजा है। (बुखारी १८४४ मुस्लिम १६४)

हज़रत आइशा रजिअल्लाहो तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी दस दिन (अशरा) शुरू होता था तो आप स०अ०व० रात के अधिकांश भाग को जाग कर गुज़ारते। अपने परिवार वालों को भी जगाते और इबादत में ज्यादा से ज़्यादा मेहनत करते। (मुस्लिम ११७४)

हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में उमरा करना हज करने के बराबर है। (सहीह बुख़ारी, १७८२, मुस्लिम १२५६)

इसी प्रकार रमज़ान के महीने में सदका खैरात करने का सवाब ज्यादा मिलता है।

अहकाम व मसाइल

सेहरी खाना सुन्नत है: आप स०अ०व० ने फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते सेहरी खाने वालों पर सलात, रहमत और दुआ-ए-मगफिरत भेजते हैं (मुसनद अहमद)

सेहरी देर से खाना सुन्नत है। एक रिवायत में है कि आप स०अ०व० फज्र की नमाज़ और सेहरी खाने में इतना गेप रखते थे कि जिस में आदमी पचास आयत पढ़ सके (बुखारी)

फज्र तुलूअ होते ही खाने पीने से रूक जाये और दिल में नियत कर ले जुबान से अदा करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि यह बिदअत अर्थात दीन में नई बात है।

सूरज डूबने का यकीन होते ही इफतार में जल्दी करना मुस्तहब है। आप स०अ०व० ने फरमाया लोग उस वक्त तक खैर पर रहेंगे जब तक इफतार में जल्दी करेंगे। (बुखारी, मुस्लिम)

कुरआन की तिलावत, जिक्र नमाज़ और सदकात ज्यादा से ज्यादा किया जाये। आप स०अ०व० ने फरमाया रमजान के महीने में जिक्रे इलाही करने वाले की मगफिरत कर दी जाती है। एक रिवायत में है कि तीन लोगों अर्थात रोजेदार, इन्साफ करने वाले और मजलूम की दुआ रदद नहीं की जाती। (इब्ने खुजैमा, इब्ने हिब्बान)

रोज़े की हालत में क्या करना जायज़ है और क्या करने से रोज़ा नहीं टूटता

''१. गीली या सूखी मिस्वाक दिन के किसी भी हिस्से में करना

२. सुर्मा लगाना और आंख में दवा डालना

३. सर या बदन में तेल मलना

४. खुश्बू लगाना

५. सर पर भीगा कपड़ा रखना

७. इंजेक्शन लगवाना जो कुव्वत और खाने का काम न दे।

८. जरूरत पड़ने पर खाने का नमक चेक करके तुरन्त थूक देना या कुल्ली करना

९. सुबहे सादिक के बाद नहाना

१०. मर्द का बीवी को चुंबन लेना व लिपटना, शर्त है कि मर्द अपने को कन्ट्रोल में रख सकता हो और संभोग का डर न हो।

११. रात में एहतलाम हो जाना

१२. औरत को देख कर इन्जाल अर्थात वीर्य का बाहर आ जाना।

१३. खुद से उलटी हो जाना चाहे थोड़ा हो या ज्यादा

१४. नाक में पानी डालना बगैर मुबालगा

१६. नाक के रेंठ का अन्दर ही अन्दर हलक के रास्ते अन्दर चले जाना

१७. कुल्ली करना शर्त यह है कि मुबालगा न करे।

१८. कुल्ली करने के बाद मुंह में पानी की तरी का थूक के साथ अन्दर चले जाना।

१९. मक्खी का हलक में चले जाना।

२०. इस्तिन्शाक-नाक में (पानी चढ़ाना बिना मुबालगा) की सूरत में बगैर इरादा पानी का नाक से हलक के अन्दर उतर जाना।

२१. मुंह में जमा थूक पी जाना मगर ऐसा न करना बेहतर है।

२२. मसूढ़े के खून का थूक के साथ अन्दर चला जाना।

२३. कुल्ली करते वक्त बिना इरादा पानी का हलक़ में उतर जाना।

२४. शर्मगाह में पिचकारी के ज़रिये दवा वगैरह दाखिल करना

२५. औरत से चुंबन व लिपटने की सूरत में इन्जाल हो जाना

२६. भूल कर खा पी लेना।

२७. गर्द गुबार धुवां या आटा उड़ कर हलक में चले जाना। २८. मोछों में तेल लगाना

२९. कान में तेल या पानी डालना और सलाई डालना

३०. दांत में अटके हुये गोश्त या खाने का टुकड़ा जो महसूस न हो और विखर कर हलक के अन्दर चला जाये।

जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है।

१. जान बूझ कर खाना पीना थोड़ा हो या ज्यादा

२. जान बूझकर संभोग करना

३. जान बूझकर उलटी करना थोड़ी हो या ज्यादा

४. हुक्का, बीड़ी सिग्रेट पीना,

५. पान खाना

७. खाना पीना या संभोग करना रात समझ कर या यह ख्याल करके कि सूरज डूब गया है जबकि सुबह हो चुकी थी या सूरज डूबा नहीं था।

८. मुंह के अलावा किसी जख्म के रास्ते से नलकी के माध्यम से खाना या दवा अन्दर पहुंचाना

इन सब हालतों में टूटे हुये रोज़ों को पूरा करना जरूरी है और जान बूझ कर बीवी से संभोग कर लेने पर कज़ा के साथ कफ्फारा देना भी ज़रूरी है।

❑❑❑

रमज़ान के रोज़े की अहमियत व फ़ज़ीलत

डा० अमानुल्ला मदनी

अल्लाह तआला ने इन्सान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिये पैदा किया है कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''मैंने जिन्नों और इन्सानों को केवल अपनी इबादत के लिये पैदा किया है'' (सूरे ज़ारियात-५६) इस लिये हर मुसलमान को चाहिए कि वह मरते दम तक अल्लाह की इबादत व बन्दगी में मश्गूल रहे।

रमज़ान का महीना खैर व बरकत के एतबार से तमाम महीनों में सबसे अफज़ल (श्रेष्ठतम) है इसलिये इस बरकत वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने चाहिएँ।

निम्न पंक्तियों में उन नेक कर्मों का उल्लेख किया जा रहा है जिन्हें रमज़ान के महीने में खूब पाबन्दी और लगन से करना चाहिए।

रमज़ान के महीने का रोज़ा हर आक़िल बालिग़ मर्द और औरत पर फर्ज़ है जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरे बक़रा की आयत न १८३ में फरमाया है।

रोज़े की इतनी फज़ीलत है कि अल्लाह तआला इसका बदला खुद ही देता है। सहीह बुखारी की एक हदीस का सारांश है कि चूंकि रोज़ेदार सिर्फ अल्लाह के लिये खाना पीना छोड़ देता है इसलिये अल्लाह तआला रोज़ेदार को बगैर किसी माध्यम के स्वयं ही रोज़े का बदला देगा। (सहीह बुखारी ७४४२)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स ईमान और सवाब की उम्मीद और आशा से रोज़ा रखे गा अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाहों को मआफ कर देगा। (सहीह बुखारी-३८)

क्यामुल्लैल (तरावीह) का एहतमाम करना अल्लाह के नजदीक बहुत ही प्रिय इबादत है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कयामुल्लैल का काफी एहतमाम करते थे। आप इतनी देर तक खड़े होकर इबादत करते थे कि इसकी वजह से आपके पैर में सूजन आ जाता था। सहीह बुखारी हदीस ४८३६ में है कि अल्लाह के रसूल पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इतनी देर तक क्याम करते थे कि आप के पैरों में वरम (सूजन) आ जाता था आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अल्लाह तआला ने आपके पिछले और अगले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया (फिर इतनी इबादत क्यों करते हैं) पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूं।

रमज़ान की इबादत के बारे में पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स रमज़ान के महीने में क़याम (इबादत) करेगा अल्लाह तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। (सहीह बुखारी-३७)

रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ने का सवाब ज़्यादा मिलता है बल्कि प्रतिष्ठित एवं सुप्रसिद्ध ओलमा तरावीह की नमाज़ को जमाअत के साथ पढ़ने को ही अफज़ल (ज़्यादा बेहतर और सवाब वाला) क़रार देते

हैं लेकिन अकेले तरावीह की नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है।

सदक़ा ख़ैरात एक महानतम इबादत है इसकी बड़ी अहमियत और फज़ीलत है लेकिन रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा ख़ैरात करना चाहिए ''रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खैर के मामले में काफी दानवीर थे जब कि रमज़ान के महीने में तेज व तुन्द हवाओं के समान अल्लाह के रास्ते में दान व खैरात करते थे।'' (सहीह मुस्लिम-२३०८)

फर्ज़ ज़कात की अदायगी साल के किसी भी महीने में की जा सकती है लेकिन सलफ सालिहीन फर्ज़ ज़कात की अदायगी का एहतमाम रमज़ान में करते थे।

साधारण सदक़ा खैरात की अदायगी कई तरह से की जा सकती है। गरीबों को खाना खिलाना भी सदक़ा खैरात में शामिल है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, रिश्तेनाते दारी को जोड़ो, और जब लोग सो रहे हों ऐसे वक़्त में रात को क़्याम (इबादत) करो जन्नत में जाओगे। (सुनन इब्ने माजा-३२५१ शैख अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है।

रोज़ेदार को इफतार कराने का बहुत सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े रखने वालों को इफतार कराने का सवाब रोज़ा रखने के बराबर है और रोज़ेदार के सवाब में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। (सुनन तिर्मिजी-८०७ इस हदीस को शैख अलबानी ने सहीह क़रार दिया है।

इस्लाम ने पवित्र कुरआन की तिलावत पर काफी ज़ोर दिया है। रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में कुरआन की तिलावत का खूब एहतमाम करते थे। जिबरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को रमज़ान के महीने में पूरा कुरआन पढ़ाया करते थे और उस रमज़ान में जिस रमज़ान के बाद आप पर कोई रमज़ान नहीं आया जिबरईल अलैहिस्सलाम ने आप को दो बार कुरआन पढ़ाया था।

कुरआन की तिलावत की फज़ीलत बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''जो कुरआन करीम के एक अक्षर की तिलावत करेगा उसे दस नेकी मिलेगी (सुनन तिर्मिज़ी २९१०, शैख अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है।)

कुरआन करीम की तिलावत के वक़्त चन्द बातों का पास व लिहाज (ध्यान) रखना चाहिए।

कुरआन की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए।

कुरआन की तिलावत के दौरान रोना।

कुरआन करीम को समझने की क्षमता प्राप्त करना

कुरआन की शिक्षाओं पर अमल करना

कुरआन के अनुसार अपना अक़ीदा (आस्था) बनाना

एतक़ाफ का ज़िक्र कुरआन हदीस में मौजूद है। अल्लाह ने कुरआन में फरमायाः व अन्तुम आकिफूना फिल मसाजिद'' (सूरे बक़रा १८७१

रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में एतकाफ़ करते थे।

सहीह बुखारी की रिवायत में है नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में दस दिनों का एतक़ाफ करते थे और उस साल जिस साल

आप का इन्तेकाल हुआ आप ने बीस दिनों का एतकाफ़ किया। (हदीस न० २०४४)

एतकाफ मुसतहब है और कभी भी कर सकते हैं जैसा कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से शव्वाल के महीने में भी एतकाफ़ करना साबित है इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो को रमज़ान के अलावा महीने में एतकाफ वाली नज्र पूरी करने का हुक्म दिया था जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हमा से रिवायत है। (सहीह बुखारी-२०४३)

रमज़ान के आखिरी दस दिनों का एतकाफ़ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पाबन्दी के साथ करते थे इसलिये रमज़ान के आखिरी दस दिनों में एतकाफ की पाबन्दी करनी चाहिए। एतकाफ मस्जिद में करना चाहिए क्योंकि एतकाफ मस्जिद के अलावा जगह में करना साबित नहीं है।

एतकाफ किसी भी मस्जिद में कर सकते हैं एतकाफ के लिए जामे मस्जिद की शर्त लगाना सहीह नहीं है लेकिन सबसे अफज़ल एतकाफ़ मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा का है फिर जामे मस्जिदों में, फिर किसी भी मस्जिद में और इस बारे में मर्द व औरत बराबर हैं क्योंकि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आप के ज़माने में औरतें मस्जिदों में ही एतकाफ करती थीं।

एतकाफ के लिये मस्जिद के किसी एक कोने या हिस्से को अनिवार्य कर लेना ज़रूरी नहीं है बल्कि पूरी मस्जिद में एतकाफ के दौरान कहीं भी आ जा सकते हैं मस्जिद में आयोजित होने वाले तमाम दीनी व शरई प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं।

ज़रूरत पड़ने पर एतकाफ़ के दर्मियान ही एतकाफ को तोड़ा जा सकता है और इसका कोई कफ्फारा (प्रायिश्चित) नहीं है।

ईद का चांद निकलते ही एतकाफ से निकल सकते हैं।

रमज़ान के आख़िरी दस दिन बहुत खैर व बर्कत वाले हैं इसी आखिरी दस दिनों में लैलतुल क़द्र भी है जो मुबारक रात है और हज़ार महीनों से बेहतर है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''यकीनन हम ने इसे शबे क़द्र में उतारा। तू क्या समझा कि शब्रे कद्र में क्या है? शबे क़द्र एक हज़ार महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम को सर्अन्जाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह (जिबरईल) उतरते हैं। यह रात सरासर सलामती की होती है और फज्र के तुलूअ् होने तक होती है।'' (सूरे क़द्र १-५)

इन आखिरी दस दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तेग्फार, जिक्र व अज़्कार और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इन रातों में खुद जागते और अपने परिवार वालों को भी जगाते थे।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कद्र की रात की तलाश की फज़ीलत के बारे में फरमायाः जो शख्स लैलतुल क़द्र का क़्याम करेगा उसके पिछले तमाम गुनाह मआफ़ कर दिये जाते हैं। (सहीह बुखारी १९०)

शबे क़द्र को पाने या उसका सवाब हासिल करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि आखिरी पूरे दस दिनों की तमाम रातों में इबादत की जाये खास तौर से रमज़ान के आख़िरी दिनों की ताक रातें (२१,२३,२५,२७,२९) अल्लाह की इबादत व बन्दगी में गुज़ारी जाएं।

किसी नेकी को मामूली न समझें

अज़हर अब्दुर्रहमान मुबारकपूरी

यह दुनिया नेक कर्म करने की जगह है और आखरित की तैयारी का मैदान है। इंसान दुनिया में जैसा कर्म करता है, आखरित में उसे उसी का पूरा बदला मिलेगा। जिसने जरा-सी भी नेकी की होगी, वह उसे अपने कर्मों के लेखे में पाएगा, और जिसने जरा-सी भी बुराई की होगी, वह भी उसे अपने कर्मों के लेखे में दर्ज पाएगा। जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है:

''जिसने एक कण के बराबर भी भलाई की होगी, वह उसे देख लेगा, और जिसने एक कण के बराबर भी बुराई की होगी, वह भी उसे देख लेगा।(सूरह ज़िलज़ाल)

इसी कारण इस्लाम ने अपने मानने वालों को नेकी और भलाई का सख़्त आदेश दिया है और बार-बार अलग-अलग तरीकों से इसकी सीख दी है। अच्छे कर्मों के लिए उकसाया है। अल्लाह की इबादत और हक़ुक़ुल्लाह (अल्लाह के अधिकार) अदा करने के साथ-साथ बंदों के अधिकार अदा करने, लोगों से अच्छा व्यवहार करने और उनके साथ नेकी से पेश आने का हुक्म दिया है।

अल्लाह के रसूल ने कई हदीसों में नेकी और भलाई के कामों का आदेश दिया है और उनके फायदे भी बताए हैं। खास तौर पर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने, हमदर्दी और दुख-दर्द बाँटने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है और इसके फजाइल बयान किए हैं।

कुछ काम देखने में बहुत छोटे और मामूली लगते हैं, लेकिन कयामत के दिन उनकी कीमत और अहमियत का पता चलेगा। अफसोस की बात है कि बहुत-से लोग अपनी नादानी और गफलत की वजह से नेकी के कई मौके गँवा देते हैं। नीचे कुछ आसान नेकीयों का जिक्र किया जा रहा है, जो कयामत के दिन बहुत कीमती और भारी होंगी।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

किसी भी भलाई को छोटा मत समझो, चाहे वह अपने भाई से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना ही क्यों न हो।

यानी मुस्कुराते हुए और खुशदिल अंदाज में किसी से मिलना भी बहुत बड़ी नेकी है, जिससे सामने वाले को खुशी और सुकून मिलता है। अफसोस कि बहुत-से लोग जब किसी से मिलते हैं तो सीधे मुँह बात नहीं करते, बल्कि सख़्त और रूखे अंदाज में पेश आते हैं। यह बहुत गलत और अनुचित है। अपने भाई से खुशमिजाजी से मिलना एक बड़ी नेकी है, हमें इसका खास ध्यान रखना चाहिए।

इसी तरह तोहफा और हदिया देना, चाहे वह कितना ही मामूली क्यों न हो। एक हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया:

कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को दी जाने वाली चीज को छोटा न समझे, चाहे वह बकरी का खुर ही क्यों न हो।

बकरी का खुर कितना छोटा और मामूली होता है, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसकी भी अहमियत

बयान की है। तोहफा चाहे छोटा ही क्यों न हो, उससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और प्यार व हमदर्दी बढ़ती है। इस हदीस में पड़ोसियों के हक का खास तौर पर जिक्र है। अफसोस कि आजकल आम तौर पर पड़ोसियों के बीच झगड़े और दूरियाँ पाई जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का खयाल रखें और उनके साथ अच्छे और खुशनुमा रिश्ते बनाए रखें।

सदका अल्लाह की रजामंदी का जरिया है और उसके गुस्से को दूर करता है। इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक सदका देते रहना चाहिए, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो। यह सदका फर्ज जकात के अलावा है। जकात तो साहिब-ए-निसाब पर फर्ज है, और जो उसे अदा नहीं करता वह गुनाहगार होता है।

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जहन्नम की आग से बचो, चाहे खजूर का आधा टुकड़ा देकर ही क्यों न हो।

इस हदीस से सदके की कितनी बड़ी अहमियत मालूम होती है। अगर किसी के पास पूरी खजूर देने की ताकत न हो, तो वह आधी खजूर देकर भी अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश कर सकता है।

> खास तौर पर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने, हमदर्दी और दुख-दर्द बाँटने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है और इसके फजाइल बयान किए हैं।
> कुछ काम देखने में बहुत छोटे और मामूली लगते हैं, लेकिन कयामत के दिन उनकी कीमत और अहमियत का पता चलेगा। अफसोस की बात है कि बहुत-से लोग अपनी नादानी और गफलत की वजह से नेकी के कई मौके गँवा देते हैं। नीचे कुछ आसान नेकीयों का जिक्र किया जा रहा है, जो कयामत के दिन बहुत कीमती और भारी होंगी।

आज लोग दुनियावी कामों में हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन नेकी और भलाई के काम में कुछ रुपये देना और गरीबों की मदद करना उन्हें भारी लगता है। ऐसे लोगों को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए।

इस हदीस में गरीब और कमजोर लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ अमीर लोग ही सदका करके सवाब नहीं कमा सकते, बल्कि गरीब लोग भी अपनी थोड़ी-सी कमाई में से जो मुमकिन हो, अल्लाह के रास्ते में देकर और गरीबों की मदद करके अज्र हासिल कर सकते हैं।

अगर किसी के पास देने के लिए कुछ भी न हो, तो वह दूसरों को तकलीफ देने और नुकसान पहुँचाने से बचे। हदीस में इसे भी सदका कहा गया है।

यही छोटी-छोटी नेकीयाँ इंसान को आखिरत में बहुत काम आएँगी और जहन्नम से बचने का जरिया बनेंगी। इसलिए किसी भी नेकी को छोटा न समझें और जब मौका मिले तो उससे पीछे न हटें।

अल्लाह तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे, आखिरत की नाकामी से बचाए और जन्नतुल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।

कुरआन और हदीस की रोशनी में बच्चों के अधिकार

एन. अहमद

इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मानव जीवन के हर चरण को महत्व देता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान के अधिकार और कर्तव्य कुरआन और हदीस में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। बच्चों को भी इस्लाम में विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि वे समाज का भविष्य होते हैं। कुरआन और पैगंबर मुहम्मद की हदीसें इस बात की गवाही देती हैं कि इस्लाम बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास की पूरी जिम्मेदारी लेता है।

१. जीवन का अधिकार

बच्चों का सबसे पहला और मूल अधिकार जीवन का अधिकार है। कुरआन मजीद में निर्दोष बच्चों की हत्या को बड़ा अपराध बताया गया है। अल्लाह तआला फरमाता है कि गरीबी के डर की वजह से अपनी संतान को न मारो, क्योंकि उनका रिज़्क अल्लाह देता है। इस्लाम ने विशेष रूप से बच्चियों को जीवन का अधिकार देकर समाज में फैली हुई जुल्म और नाइंसाफी को खत्म किया।

२. सुरक्षा और सम्मान का अधिकार

इस्लाम बच्चों की सुरक्षा और इ़ज़्ज़त की पूरी गारंटी देता है। उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा से बचाना माता-पिता और समाज की जिम्मेदारी है। पैगंबर बच्चों के साथ अत्यंत नरमी और सम्मान से पेश आते थे, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों की भावनाओं और आत्मसम्मान का ख्याल रखना जरूरी है।

३. अच्छा नाम और पहचान का अधिकार

हदीस के अनुसार माता-पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को अच्छे और अर्थपूर्ण नाम दें। नाम केवल पहचान नहीं बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का हिस्सा होता है। इस्लाम में बच्चे को एक अलग पहचान और सम्मानित स्थान दिया गया है।

४. पालन-पोषण, प्रेम और दया का अधिकार

बच्चों का एक अहम अधिकार प्यार, स्नेह और देखभाल है। पैगंबर मुहम्मद बच्चों को गले लगाते, चूमते और उनके साथ खेलते थे। एक हदीस में है कि जो व्यक्ति बच्चों पर रहम नहीं करता, उस पर अल्लाह भी रहम नहीं करता। इससे पता चलता है कि इस्लाम सख्ती के बजाय दया और प्रेम की शिक्षा देता है।

५. शिक्षा का अधिकार

इस्लाम में शिक्षा को बहुत ऊँचा दर्जा दिया गया है। ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ दुनियावी शिक्षा देना भी आवश्यक है, ताकि वे सही और गलत में फर्क कर सकें और समाज के लिए लाभकारी बनें।

६. न्याय और समान व्यवहार का अधिकार

इस्लाम माता-पिता को आदेश देता है कि वे अपनी सभी संतानों के साथ समान व्यवहार करें। लड़का और लड़की में भेदभाव करना इस्लामी शिक्षा के खिलाफ है। पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने संतान के बीच इंसाफ करने पर जोर दिया है।

७. आर्थिक अधिकार और

विरासत

इस्लाम ने बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। बच्चों और बच्चियों को विरासत में उनका निश्चित हिस्सा दिया गया है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अनाथ बच्चों की देखभाल को भी इस्लाम में महान पुण्य बताया गया है।

८. नैतिक और चरित्र निर्माण का अधिकार

बच्चों का यह भी अधिकार है कि उन्हें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और सही आचरण सिखाया जाए। सच्चाई, ईमानदारी, सब्र और दूसरों का सम्मान जैसे गुण बच्चों में बचपन से विकसित करना माता-पिता की जिम्मेदारी है।

९. खेल और स्वस्थ विकास का अधिकार

इस्लाम बच्चों को खेलकूद और स्वस्थ गतिविधियों से नहीं रोकता। पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बच्चों को खेलने और उनके स्वाभाविक विकास को महत्व देते थे। इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है।

कुरआन और हदीस की इन दलीलों की रोशनी में यह स्पष्ट है कि इस्लाम ने बच्चों को संपूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। यदि माता-पिता और समाज इन शिक्षाओं पर अमल करें, तो एक ऐसा समाज बन सकता है जो न्याय, प्रेम और मानवता पर आधारित हो। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव है जिस को मज़बूती से स्थापित करना हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है।

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

इस्लाम में गैर-मुस्लिमों के अधिकार

नौशाद अहमद गाजियाबाद

इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो न्याय, करुणा, सह-अस्तित्व और मानव गरिमा पर विशेष बल देता है। कुरआन और पैगम्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की शिक्षाओं में मानवता को एक साझा परिवार के रूप में देखा गया है। इस्लामी शरीअत में धर्म, नस्ल या समुदाय के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसी कारण इस्लाम में गैर-मुस्लिमोंअर्थात वे लोग जो इस्लाम के अनुयायी नहीं हैंके अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस निबंध में इस्लाम में गैर-मुस्लिमों के अधिकारों, उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कानूनी संरक्षण, तथा ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

१. मानव गरिमा और जीवन का अधिकार

इस्लाम की बुनियादी शिक्षा यह है कि प्रत्येक मनुष्य सम्मान और गरिमा का अधिकारी है। पवित्र कुरआन में कहा गया है कि अल्लाह तआला ने मानव को प्रतिष्ठा प्रदान की है। यह सम्मान केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। इस्लाम गैर-मुस्लिमों के जीवन की रक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता है जितना मुसलमानों के जीवन की। पवित्र कुरआन ने किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या को पूरी मानवता की हत्या के समान बताया है।

२. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन की मनाही है। कुरआन स्पष्ट रूप से कहता है कि ''धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है।'' इसका अर्थ यह है कि गैर-मुस्लिमों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी पूजा-पद्धतियों को अपनाने और अपने धार्मिक संस्थानों को बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता है। यही वजह है कि इस्लामी शासन में हमेशा धार्मिक स्थलों को संरक्षण प्रदान किया गया।

३. जान-माल की सुरक्षा

इस्लाम गैर-मुस्लिम नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की गारंटी देता है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस व्यक्ति ने किसी संरक्षित गैर-मुस्लिम पर अत्याचार किया, वह क्यामत के दिन उनके विरुद्ध खड़े होंगे। इस्लामी कानून के अंतर्गत गैर-मुस्लिमों की संपत्ति, घर और व्यापार को नुकसान पहुँचाना गंभीर अपराध माना गया है।

४. न्याय और समानता का अधिकार

इस्लामिक न्याय व्यवस्था में मुसलमान और गैर-मुस्लिम दोनों कानून के समक्ष समान हैं। किसी भी मामले में निर्णय धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय और प्रमाण के आधार पर किया जाता है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ मुस्लिम शासकों ने गैर-मुस्लिमों के पक्ष में निर्णय दिए, भले ही दूसरा पक्ष मुसलमान ही क्यों न हो।

५. सामाजिक सम्मान और सह-अस्तित्व

इस्लाम सामाजिक स्तर पर गैर-मुस्लिमों के साथ अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार और सहयोग की शिक्षा देता है। पड़ोसियों के अधिकारों में धर्म का कोई भेद नहीं किया गया। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम स्वयं गैर-मुस्लिम पड़ोसियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते थे और उनके दुख-सुख में सहभागी बनते थे।

६. आर्थिक अधिकार

इस्लाम गैर-मुस्लिमों को व्यापार, रोजगार और संपत्ति रखने का पूरा अधिकार देता है। उन्हें अपनी आजीविका चुनने की स्वतंत्रता है। इस्लामी शासन में गैर-मुस्लिम व्यापारियों को सुरक्षा दी जाती थी और उनके साथ आर्थिक भेदभाव नहीं किया जाता था। जकात मुसलमानों पर अनिवार्य थी, जबकि गैर-मुस्लिमों पर यह लागू नहीं होती थी, जिससे उनके आर्थिक अधिकार सुरक्षित रहते थे।

७. जिज़्या का सही अर्थ

अक्सर जिज़्या को गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में जिज़्या एक प्रकार का कर था जो गैर-मुस्लिम नागरिकों से लिया जाता था, बदले में उनकी सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और सैन्य सेवा से छूट दी जाती थी। यह कर सामान्यतः बहुत कम होता था और गरीबों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और धार्मिक गुरूओं से नहीं लिया जाता था।

८. शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार

इस्लाम गैर-मुस्लिमों को शिक्षा प्राप्त करने और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने का अधिकार देता है। ऐतिहासिक इस्लामी सभ्यताओं में विभिन्न धर्मों के विद्वान साथ-साथ रहते और ज्ञान के आदान-प्रदान में योगदान देते थे। बगदाद और दमिश्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

९. ऐतिहासिक उदाहरण

पैगम्बर मुहम्मद (सल्ल.) द्वारा मदीना में स्थापित 'मीसाक-ए-मदीना' (मदीना की संधि) गैर-मुस्लिमों के अधिकारों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें यहूदियों और अन्य समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। इसी प्रकार, खलीफा उमर (रजि.) ने यरूशलम के ईसाइयों को जो संधि दी, वह धार्मिक सहिष्णुता का ऐतिहासिक दस्तावेज है।

१०. आधुनिक संदर्भ में इस्लामी शिक्षाएँ

आज के बहुधार्मिक और बहु समाज में इस्लाम की ये शिक्षाएँ और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। इस्लाम शांति, सह-अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान का संदेश देता है। यदि इन सिद्धांतों को सही रूप में समझा और लागू किया जाए, तो विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

११. कुरआन और हदीस से उद्धरण

इस्लाम में गैर-मुस्लिमों के अधिकार केवल सामाजिक परंपराओं पर आधारित नहीं हैं, बल्कि कुरआन और हदीस में इनके स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। कुरआन में अल्लाह फरमाता है:

धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। (कुरआन २/२५६)

यह आयत इस्लाम में धार्मिक स्वतंत्रता की बुनियाद है, जो स्पष्ट करती है कि किसी भी गैर-मुस्लिम को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

एक अन्य स्थान पर कहा गया

है:

अल्लाह तुम्हें उनसे अच्छा व्यवहार करने और न्याय करने से नहीं रोकता जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध नहीं किया। (पवित्र कुरआन ६०/८)

यह आयत गैर-मुस्लिमों के साथ न्याय, सहिष्णुता और अच्छे व्यवहार का स्पष्ट आदेश देती है।

पैगम्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया:

जिस व्यक्ति ने किसी जिम्मी (संरक्षित गैर-मुस्लिम) पर अत्याचार किया, उसका अधिकार छीना या उसकी क्षमता से अधिक बोझ डाला, कयामत के दिन मैं उसके विरुद्ध खड़ा होऊँगा। (अबू दाऊद)

एक अन्य हदीस में आता है

जो किसी गैर-मुस्लिम ज़िम्मी की हत्या करेगा, वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। (सहीह बुखारी)

ये हदीसें स्पष्ट करती हैं कि इस्लाम गैर-मुस्लिमों के जीवन, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को अत्यंत गंभीर विषय मानता है।

इस्लाम में गैर-मुस्लिमों के अधिकार केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि कुरआन, हदीस और ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित व्यावहारिक सिद्धांत हैं। जीवन, धर्म, संपत्ति, न्याय, सम्मान और स्वतंत्रता इन सभी क्षेत्रों में इस्लाम गैर-मुस्लिमों को स्पष्ट और सुरक्षित अधिकार प्रदान करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी इन शिक्षाओं को सही रूप में लागू किया गया, समाज में शांति, सह-अस्तित्व और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिला। आज के बहुधार्मिक विश्व में इन इस्लामी शिक्षाओं और मूल्यों की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

गलह फहमी उस वक़्त जनम लेती है जब हर कही गई बातों पर भरोसा कर लिया जाता है। आज विश्व स्तर पर कुछ लोग दूसरे के धर्मों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं जिस की वजह से भ्रांति फैल रही है, ऐसे में अन्य लोगों की भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह इस्लाम के शिक्षाओं का अध ययन उसके असल स्रोतों से करें, किसी के निजी कर्म के आधार पर उसके कर्म को लांक्षित करना सरासर अन्याय और अमानवीय कर्म है।

गलह फहमी उस वक़्त जनम लेती है जब हर कही गई बातों पर भरोसा कर लिया जाता है। आज विश्व स्तर पर कुछ लोग दूसरे के ध र्मों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं जिस की वजह से भ्रांति फैल रही है, ऐसे में अन्य लोगों की भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह इस्लाम के शिक्षाओं का अध्ययन उसके असल स्रोतों से करें, किसी के निजी कर्म के आधार पर उसके कर्म को लांक्षित करना सरासर अन्याय और अमानवीय कर्म है।

इस्लाम धर्म को बदनाम करने वालों से सवाल किया जा सकता है कि उनके धर्म ने अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिये हैं?

❑❑❑

मर्कज़ी जमीअत के अध्यक्ष मौलाना असग़र अली सलफी की विभिन्न सभाओं में शिर्कत एवं संबोधन

जिलई जमीअत अहले हदीस बनारस के तत्वावधान में एक दिवसीय भव्य धार्मिक व दावती सीरतुन्नबी सम्मेलन दिनांक १ दिसंबर २०२५, दिन सोमवार को हाजी यासीन मारुति परिसर, आजाद नगर, बजरडीहा, वाराणसी में मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सीरत-ए-रसूल के अध्ययन पर जोर देते हुए कहा कि नबी करीम के उच्च चरित्र और आचरण को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उन्होंने अफसोस प्रकट किया कि हमारी नई पीढ़ी अपने नबी की सीरत से अनभिज्ञ होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रही है, जबकि सीरत-ए-नबवी में हमारी सामाजिक समस्याओं का समाधान मौजूद है।

१० दिसंबर २०२५ को जिलई जमीअत अहले हदीस सुपौल, बिहार के तत्वावधान में १६वां भव्य मोहसिन-ए-इंसानियत सम्मेलन बिजली चौक, जामिया सलफिया बेरिया कमाल, सुपौल में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने की। अपने संबोधन में अमीर-ए-जमाअत ने कहा कि नबी की शिक्षाओं को आम करने की आवश्यकता है, ताकि इस्लाम और मुसलमानों के संबंध में फैलाई गई गलतफहमियों का निवारण हो सके। सम्मेलन में उपस्थित विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर अपने बहुमूल्य लेख प्रस्तुत किए, जिनमें उत्तम आचरण का महत्व, रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जानवरों पर दया, शत्रुओं के साथ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का व्यवहार, देशभक्ति और पवित्र जीवन, महिला शिक्षा और नबी-ए-रहमत, मन्हज-ए-सलफ का परिचय, शरीअत-ए-मुहम्मदी की विशेषताएँ, सामाजिक पतन के कारण व समाधान तथा इस्लाम में ज्ञान की श्रेष्ठता शामिल हैं।

वर्तमान युग में शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आज विश्व में जो भी राष्ट्र विभिन्न आविष्कारों में अग्रणी हैं, उसका मुख्य कारण शिक्षा है। अभिभावकों को चाहिए कि वे धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें। इन विचारों को मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने २६ दिसंबर २०२५ को सलफ एजुकेशनल ट्रस्ट मधुबनी-अररया, बिहार के तत्वावधान में माहदुस सालिहीन परिसर, मोहनी, अररिया में आयोजित एक दिवसीय अजमत-ए-तालीम सम्मेलन में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुरआन की पहली अवतरित आयतों में शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिससे इस्लाम में शिक्षा के महत्व का स्पष्ट निर्देश मिलता है। इसी दिन अमीर-ए-मोहतरम ने जामे मस्जिद माहदुस-सालिहीन, मोहनी अररिया में जुमे का खुत्बा भी दिया।

२३, २४ और २५ दिसंबर को उन्होंने मालदा, बंगाल का दौरा किया। इस दौरान अमीर-ए-जमाअत ने विभिन्न दावती और तरबियती सभाओं को संबोधित किया तथा प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ शैक्षणिक और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। २३ दिसंबर को मदरसा-तुल-बनात परानपुर के प्रबंधकों से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त जामिया उमर फारूक इस्लामिया, कौआमारी, मालदा में" इल्म और अमल" विषय पर शिक्षकों और छात्रों को प्रेरक भाषण दिया।

२८ दिसंबर को गोरखपुर की यात्रा की, जहाँ मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने जमाअती मित्रों के साथ शैक्षणिक, दावती, तब्लीगी और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। मौलाना हाफिज कलीमुल्लाह और भाई अब्दुर्रऊफ साहब की बेटियों का निकाह पढ़ाया तथा इस्लाम में विवाह की सादगी, फिजूलखर्ची और गलत रस्म-रिवाजों के समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर भाषण दिया।

३० दिसंबर २०२५ को जामा मस्जिद तहफीजुल कुरआन, खरजरवा में कुरआन व हदीस का दिया और जमाअत के सदस्यों से भेंट की। जनाब वाहिद साहब, कलीमुल्लाह सलफी और शफीउल्लाह आदि के साथ विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की तथा संस्था के प्रबंधकों और शिक्षकों से मुलाकात की।

२ जनवरी २०२६ को नागपुर और सिवनी, मध्य प्रदेश का दौरा हुआ। नागपुर हवाई अड्डे से मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिंद के नाजिम-ए-मालियात हाजी वकील परवेज, प्रांतीय जमीयत महाराष्ट्र के नाजिम-ए-मालियात हनीफ इनामदार, प्रांतीय उप-नाजिम अजमतुल्लाह शेख और उनके पुत्र की संगत में काफिला कानीवाड़ा, सिवनी के लिए रवाना हुआ। घोषित कार्यक्रम के अनुसार अमीर-ए-मोहतरम ने वहाँ जुमे का खुत्बा दिया। नमाज के बाद कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों, जमीअत के पदाधिकारियों, सिवनी और आसपास के जिलों से आए हुए उलमा और जमाअती साथियों की विशाल सभा को अमीर-ए-मोहतरम और मर्कज़ी जमीअत के खजांची हाजी वकील परवेज ने संबोधित किया।

इससे पूर्व "तारीख-ए-अहले हदीस सिवनी" नामक पुस्तक का विमोचन मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिंद के अमीर-ए-मोहतरम के द्वारा हुआ, जिसमें क्षेत्र के उलेमा, सामाजिक हस्तियाँ तथा जामिया फैजुल उलूम सिवनी और मदरसा समिया के प्रबंधक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मौलाना सादिकुर्रहमान फैजी ने अपनी पुस्तक का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया और अमीर-ए-मोहतरम द्वारा लिखी गई भूमिका पर आभार व्यक्त किया।

इसके पश्चात क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी अब्दुल मुकृतदिर पटेल के निवास पर आरामदायक ठहराव और शानदार आतिथ्य सत्कार के बाद काफिला नागपुर के लिए रवाना हुआ। वहाँ घोषित सम्मेलन में शिर्कत की, जिसमें अमीर-ए-मोहतरम ने भाषण दिया। इस सम्मेलन के विशेष वक्ता मौलाना अब्दुर्रहीम जामेई कर्नाटकी थे, जबकि अध्यक्षीय भाषण मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के खजांची हाजी वकील परवेज ने दिया।

❑❑❑

मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म(८वीं क़िस्त)

लेखकः मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी

हमारा कर्तव्य, अधिकार और हक को बताया और जता दिया गया है इसलिये विश्व समुदाय का दुख दर्द हमारा दर्द है और उनका सुख हमारा चैन व सुकून है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

''ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसकी बीवी पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से माँगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो बेशक अल्लाह तआला तुम पर निगेहबान है''

बनी आदम आज़ा यक दीगरा नन्द
कि दर आफरीनश ज़यक गौहर अन्द
चूँ अज़्व बदर्द रोज़गार
दीगर अज्व हारा न मांद क़रार

आर्थात सभी इन्सान एक दूसरे के अंग हैं और पैदाइश के वक़्त से ही एक ही जौहर से पैदा हुए हैं कभी भी शरीर के एक अंग में दुख पहुंचता है तो सभी इन्सान के शरीर तिलमिला उठते हैं। (मदारिजुस्सालिकीन) विचारधाराओं और पाठयक्रम में तुम्हारा प्यारा नाम था और तुम्हारी तारीख थी लेकिन इसको सब प्राचीन व्यर्थ और इतिहास के पहले और अंधकाल के किस्से बावर कराये जा रहे हैं और तुम मानवता को बिगाड़ देने वाले चरित्र व ईमान और पवित्रता को खतम करने वाले उनके दृष्टिकोण एवं शिक्षाओं को खुशी-खुशी पाठयक्रम में दाखिल कर रहे हो और तुम्हारी यूनीवर्सिटियां, कालेज मदर्से इस पर मक्खी की तरह गिर रहे हैं जो आत्महत्या के समान है उनकी सभ्यता तुम पर विजित है मगर तुम को तिर्याक़ और नुस्ख-ए कीमिया और अमृत नज़र आ रहा है। ऐसे में तुम इन दृष्टिकोणों को चुनौती दो, इन धर्मों की हक़ीकत को जानो और उनकी भाषा और उनके दर्शन से उनको क़ायल करो और अपना मार्गदर्शक अपनी दीनी तालीम और अपने पूर्वजों के विचारधारा व तरीकों को अपनाओ और सहीह इस्लामी आचरण के जोत जगाओ कि दुनिया तुम्हारा इन्तेज़ार कर रही है'' मगर तुम ही सो गये दास्तां कहते कहते'' अब जागे भी तो भागने की राहें ढूंढ रहे हो आह तुम्हें क्या हो गया है? दुनिया तुम्हारा इन्तेज़ार कर रही है और अब वह अपने करतूत की सज़ा भुगत रही है अपनी गलती मानने के बजाये जैसा कि ऊपर बयान किया गया दुनिया भी हलाक व बर्बाद करने पर तुली हुई है और खुल्लम खुल्लाह कह रही है।

हम तो डूबे हैं सनम तुम को भी ले डूबेंगे।

और तुम कहो कि हम हैं तुम्हारे, हम तुम को हलाक नहीं होने देंगे डूबने नहीं देंगे।

अल्लाह ने हमको इस लिये भेजा है कि हम बन्दों को बन्दों की दासता से निकाल कर अल्लाह की दासता एवं उपासना तक ले जायें और अत्याचार से निकाल कर इस्लाम के न्याय की क्षाँव में ले जायें और दुनिया की तंगी से निकाल कर इस्लाम की दया व करूणा की छांव में ले जायें। (अल बिदाया वन-निहाया भाग-७) मानवता को पतन में ले जाने वाले दृष्टिकोण व कर्मों के बक़ाया व मज़ाया को देखो विशेष रूप से मानवतावादी शिक्षाएं एवं अनुभव को दोहराओ, फराइड के सेक्सुअल अनारकी के दृष्टिकोण को छोड़ो, डारविन के विकासवाद और बाज भारतीय विकासवाद दर्शन, जमीन के कीड़े मकूड़े, निजीर्व वनस्पति, हैवानात यहां तक कि इन्सान बनने को पलट कर मत

देखो कि मानवता का इससे बड़ा अपमान कोई और नहीं है। मालथस के आबादी के दृष्टिकोण, मीकावली के राजनीतिक व शासनीय दृष्टिकोण, काल मार्क्स के आर्थिक दृष्टिकोण, रूसू के स्वतंत्रता संबन्धी दृष्टिकोण, नटशे के अधर्मवाद और धार्मिक आजादी को भूल जाओ और पूर्व पश्चिम के तमाम आक़ाओं और उनके जीवन दर्शन व लैंगिक दर्शन छोड़ कर प्रकृति की आवाज़ को अपनाओ और ''चीज़ें अपने विलोम से पहचानी जाती हैं'' के तहत ''वह इस्लाम के एक एक अंग को काट काट कर ख़तम कर देंगे जो इस्लाम में दाख़िल तो हो गये लेकिन जाहिलियत की बुराइयों को जान और समझ नहीं सके।''

एक अरबी कवि ने कहा है: ''मैंने बुराई को बुराई के लिये नहीं पहचाना बल्कि उससे बचने के लिये पहचाना, और जो बुराई को भलाई से नहीं पहचानता वह उसके अन्दर पड़ जाता है'' और दूसरे खलीफ़ा के कथनानुसार किसी हद तक इन विश्व व्यवस्थाओं, धर्मों और दृष्टिकोणों पर नज़र रखो और दीन व ईमान और अम्न व भाई चारा के वैश्विक और साधारणीय दीन और इन्सान एवं जिन्नों के नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को हर मुनासिबत से पेश करो कि वह पूरे संसार के लिये दया आगार हैं।

एलाने दाख़िला

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरे एहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला दिल्ली में स्थापित उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक संस्था

अलमाहदुल आली लित तख़स्सुस फ़िद दिरासातिल इस्लामिया

में नये तालीमी कलैण्डर के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक लिया जायेगा। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें। आवेदन पत्र मिलने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2026 है।

नोटः- हर क्षात्र को हर महीने वज़ीफा दिया जायेगा।

अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव जामिया नगर दिल्ली-110025

फोन 011-23273407

Mob. 9213172981, 09560841844

शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए
मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के पिरणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्ध ा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

JANUARY 2026
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पता:-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28

28